

hgt

Acl
24
10/22

राजस्थान सरकार
कार्यालय महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान अजमेर

क्रमांक : एफ.2(2400)स्था./पमु./

दिनांक : 31/01/22

-:आदेश:-

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा कनिष्ठ सहायक संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा-2013 के चयनित अभ्यर्थी जिन्हें कनिष्ठ सहायक के पद पर परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (Probationer-Trainee) के रूप में नियुक्ति दी गई थी, का राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय मंत्रालयिक सेवा नियम-1999 के तहत कार्यग्रहण दिनांक से 02 वर्ष का परिवीक्षाकाल सफलतापूर्वक पूर्ण किये जाने के फलस्वरूप राजस्थान सेवा नियम-1951 के नियम 24 एवं राजस्थान सिविल सेवाएं संशोधित पे रूल्स 2017 के अंतर्गत शिड्यूल प्रथम पार्ट-B के अंतर्गत पे-मैट्रिक्स L-5 का न्यूनतम (First Cell) की राशि रूपये 20800/- एवं अन्य भत्ते नियमानुसार उनके सामने कॉलम संख्या 7 में अंकित दिनांक से आहरण करने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है एवं साथ ही कार्मिक के नाम के सामने अंकित कॉलम संख्या 7 में अंकित तिथि से राजस्थान मंत्रालयिक सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियम-1999 के अंतर्गत कनिष्ठ सहायक के पद पर स्थाई किया जाता है:-

क्र. सं	कनिष्ठ सहायक का नाम (सर्व श्री)	मेरिट नं०	वर्तमान पदस्थापन कार्यालय	कनिष्ठ सहायक पद पर कार्यग्रहण करने की दिनांक	परिवीक्षाकाल पूर्ण करने की दिनांक	वेतन नियमितिकरण / स्थाईकरण दिनांक	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
1	बजरंग सिंह पुत्र श्री पूरण सिंह राजपूत	823	उप पंजीयक कोटपूतली	10.12.2019	09.12.2021	10.12.2021	
2	मुकेश कुमार बंशीवाल पुत्र श्री गणपत लाल	5941	उप पंजीयक फागी	10.12.2019	09.12.2021	10.12.2021	

संबंधित कार्यालयाध्यक्ष के द्वारा कार्मिक के नियमितिकरण/स्थाईकरण के आदेश एवं वेतन निर्धारण की प्रविष्टि का इन्द्राज आवश्यक रूप से सम्बन्धित कर्मचारी की सेवापुस्तिका में किया जाना सुनिश्चित किया जावे। उक्त कनिष्ठ सहायकों की आगामी वार्षिक वेतन वृद्धि की दिनांक 01.07.2022 होगी।

— 31/01/22 —

(महावीर प्रसाद)
महानिरीक्षक

पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग
राजस्थान अजमेर

दिनांक : 31/01/22

क्रमांक : एफ.2(2400)स्था./पमु./991-557

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष उप पंजीयक कोटपूतली / उप पंजीयक फागी ।
2. संयुक्त निदेशक (कम्प्यूटर) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।
3. सम्बन्धित कनिष्ठ सहायक ।
4. रक्षित / निजी पत्रावली ।

(अनिता चौधरी)

उप महानिरीक्षक (कर)